201/290

आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी झुन्झुनूं (राज.)

बनाम

लक्ष्मण सिंह नारी पुत्र नारायण सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा ...दि.ला.ए.ऐ.ऐ. नम्बर ...106/2021... सन् ...

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
22/4/2021	दावा वादीगण जरिये वकील पेश किया गया। दावा दर्ज रजीस्टर हो। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजीस्ट्री – ऐडी से करवायी जावें । वकील वादीगण रजीस्ट्री–ऐडी की रसीद नियत तारीख पेशी तक पेश करें। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलवी दिनांक 19/05/2021 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	
	23/6/21 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे.....पर है। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24/9/21 को पेश हो।	
	24/9 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे.....पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 5-1-22 को पेश हो।	
	5/1/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे.....पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 7-1-22 को पेश हो।	
7/1/22	पत्रावली पेश हुई [illegible] वकील ने उपस्थित [illegible] कि वादी उक्त दावे को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः इसी स्तर पर दावे को मोर प्रेम के खारिज फरमाया जावे। वादी वकील के निवेदन पर दावे को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश हुए [illegible] नम्बर के कम हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	लक्ष्मण सिंह [illegible] राजावत
	7/1 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.19 14:02:23 IST
Reason: SelfAttested